

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)  
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,  
18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg  
नई दिल्ली/New Delhi-110016  
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/ FAX 26514179  
वेबसाइट/Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

फा. सं. 11025/19/2017-केविसं (मु०) / 1932-1965

दिनांक:- 13 सितंबर, 2017  
ई - मेल / स्पीड पोस्ट

उपायुक्त  
केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

**विषय:- हिंदी दिवस के अवसर पर आयुक्त महोदय द्वारा जारी अपील का प्रेषण**


महोदया / महोदय,

जैसाकि आपको विदित है कि संगठन में हर वर्ष सितम्बर माह में हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है और 14 सितंबर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है तदनुसार इसी क्रम में माननीय आयुक्त महोदय की ओर से जारी एक अपील आपको इस आशय से भेजे जा रही है कि इस अपील को हिंदी दिवस 14 सितंबर, 2017 के अवसर पर अपने कार्यालय में पढ़ा जाए।

यह भी अनुरोध है कि इस अपील को अपने अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालयों में यथासमय पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि 14 सितंबर, 2017 को हिन्दी दिवस के मौके पर विद्यालयों में भी इसे पढ़ा जा सके।

**संलग्न: यथोपरि**

भवदीय,




(डॉ. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सभी आंचलिक संस्थानों(ग्वालियर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई तथा मैसूर) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. प्राचार्य, विदेश स्थित केन्द्रीय विद्यालय मास्को, तेहरान एवं काठमांडू।
3. गार्ड फाइल।



संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

संतोष कुमार मल्ल, भा.प्र.से.  
आयुक्त  
Santosh Kumar Mall, I.A.S.  
Commissioner



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016  
दूरभाष : 91-11-26512579, फ़ैक्स : 91-11-26852680  
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016 (India)  
Tel. : 91-11-26512579, Fax : 91-11-26852680  
E-mail : commissioner@kvsedu.org, Website : www.kvsangathan.nic.in


### अपील

हिन्दी एक सशक्त भाषा है एवं इसकी प्रकृति अत्यंत सरल है। यह जिस प्रकार से लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। इसमें अन्य भाषाओं एवं बोलियों के शब्दों को स्वयं में समाहित करने की क्षमता है तथा इसकी शब्द संपदा भी असंख्य है। भारत देश में हिन्दी ही एक ऐसी संपर्क भाषा है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है अर्थात् विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी हिन्दी भाषा पूरे राष्ट्र को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अंततः 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात हिन्दी भारत संघ सरकार की राजभाषा बनी और इसी उपलक्ष्य में देशभर में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 में राजभाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। संघ सरकार के संवैधानिक उपबंधों / निर्देशों के अनुपालन हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन कृत-संकल्प है और हम राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। यहाँ तक कि इस कार्यालय द्वारा अपने पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग के साथ-साथ पत्रिकाओं में भी राजभाषा हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया जाता है।

मैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इस अवसर पर पुनः अपील करता हूँ कि आइए हम सभी मिलकर "हिन्दी दिवस" 14 सितंबर के अवसर पर यह संकल्प लें कि अपना सरकारी कार्य न केवल हिन्दी में करेंगे अपितु हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम भाषा के समकक्ष लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

दिनांक : 14 सितंबर, 2017

  
14/9/17  
(संतोष कुमार मल्ल)  
आयुक्त